घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

घरेलू हिंसा

आये दिन हम महिलाओं के साथ हिंसा की खबरे सुनते रहते है इनमें सबसे ज्यादा प्रकरण घरेलू हिंसा के होते है आइए विस्तार से जाने आखिर क्या है घरेलू हिंसा!

घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है, किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनौवैज्ञानिक या योन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध है, घरेलू हिंसा में शामिल है।

क्या है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम :–

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया और 26.10.2006 से देशभर में लागू किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्वेश्य घरेलू रिश्तों में हिंसा की शिकार महिलाओं को विधिक संरक्षण प्रदान करना है। भारत वर्ष में लगभग 70 प्रतिशत महिलाऐं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा की शिकार है।

घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा :–

"घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम,2005" में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है–" प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना, घरेलू हिंसा में माना जायेगा।

(क) क्षति पहुँचाना या जख्मी करना या पीडित व्यक्ति को स्वास्थय, जीवन, अंगो या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है, या

(ख) दहेज या अन्य संपति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुक्सान पहुँचाना या जोखिम में डालना, या

(ग) पीडित या उसके निकट संबंधियों पर उपरोक्त वाक्यांश (क) या (ख) में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गयी धमकी का प्रभाव होना, या

(ध) पीडित को शारीरिक या मानसिक तौर पर धायल करना या नुक्सान पहुँचाना

शिकायत किया गया कोई व्यव्हार या आचरण घरेलू हिंसा के दायरे में आता है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्य विशेष के आधार पर किया जाता है।

घरेलू हिंसा में किस प्रकार की हिंसा सम्मिलित है ?

शारीरिक हिंसा	यौन हिंसा	मौखिक और भावनात्मक हिंसा
पीड़ित व्यक्ति के प्रति आरोपी का कोई भी ऐसा व्यवहार जो निम्नलिखित प्रकार की शारीरिक पीडा या क्षति का कारण हो, जीवन के लिए खतरा पैदा करना, विकास या उन्नति में बाधक बनना, शारीरिक शोषण के उदाहरण है, आपराधिक रूप से डराना धमकाना, हमला करना।	यौनिक प्रकृति का कोई ऐसा व्यवहार जिसमें अपमान, क्षय, शोषण या महिला की गरिमा को क्षति पहुँचती हो, उदाहरण के लिए अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए दबाव डालना, यौन संबंध से वंचित करना, हिंसक घटना के बाद यौन संबंध की मांग करना, सुरक्षित यौन संबंध के लिए मना करना, देह व्यापार, पोनॉग्राफी, या बच्चे का यौन शोषण करना	अपमानित करना, गाली देना, बेइज्जती करना,मजाक उडाना, निसंतान होने पर पुत्र न होने की स्थिति में ताने मारना, जिसे पीडित व्यक्ति सुरक्षित करना चाहता है, उसे व्यंगात्मक टिप्पणियां, कटाक्ष इत्यादि

घरेलू हिंसा की शिकायत कौन दर्ज करा सकता है ?

इस अधिनियम के तहत यह जरूरी नही है की पीडित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कराये, कोई भी व्यक्ति चाहे वह पीडित से संबंधित हो या नही, घरेलू हिंसा की जानकारी इस अधिनियम के तहत नियुक्त सम्बद्व अधिकारी को दे सकता है।

यह कोई जरूरी नही है कि घरेलू हिंसा वास्तव में ही धट रही हो, घटना होने की आशंका के संबंध में भी जानकारी दी जा सकती है, आरोपी व्यक्ति से घरेलू संबंध में रहने वाली महिला के द्वारा अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, निम्न महिला संबंधी शिकायत कर सकते है–

01. पत्नियाँ / लिव इन पार्टनर्स, 02. बहनें, 03. माताऐं, 04. बेटियाँ

घरेलू हिंसा के रिर्पोट– कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। घरेलू हिंसा के विरूद्व संरक्षण नियम, 2006 के फॉर्म 01 में रिपोर्ट का स्वरूप दिया गया है।

पीडिता की शिकायत में उसकी व्यक्तिगत जानकारियों जैसे नाम,आयु,पता,फोन नम्बर, बच्चों की जानकारी, घरेलू हिंसा की धटना का पूरा ब्यौरा, और प्रतिवादी का भी विवरण दिये जाने की जरूरत होती है, आवेदन में वांछित सहायता का भी विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए,

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओं का संरक्षण :–

घरेलू हिंसा की शिकार महिला को निम्नलिखित सूची में से एक या एकाधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है–

सुरक्षा आदेश (धारा 18)	आवासआदेश (धारा1श7 और 19)	आर्थिक सहायता (धारा 20 और 22)	संरक्षण आदेश (धारा 21)
घरेलू हिंसा से पीडिता की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश सुरक्षा आदेश होता है, इस आदेश के द्वारा अदालत प्रतिवादी को घरेलू हिंसा को करने उसमें सहायता करने या हिंसा करने के लिए उकसाने, पीडिता के काम करने या पढनें की जगह पर जाने, संयुक्त संपति जैसे बैंक खाते, लॉकर, से पीडिता के अलगाव या प्रतिवादी उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा सकता है	पारिवारिक संबंध में महिला को उसकी निजी संपति के हक या अधिकार के बावजूद धर के साँझा उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता, प्रतिवादी या उसके परिजनों को उस सांझे धर में धुसने पर रोक लगाई जा सकती है और धर के किसी हिस्से में प्रवेश की मनाही की जा सकती है जहाँ कि पीडिता रहती है प्रतिवादी को सांझे धर को बचने या दूर रहने या अपने अधिकार को छोडने की तब तक मनाही है जब तक वह पीडिता के लिए आवास की दूसरी व्यवस्था नही कर लेता, जहाँ वह किराये पर रहते है उसे किराये के भुगतान की व्यवस्था करनी होगी	प्रतिवादी को पीडिता और उसके बच्चों को हुए नुकसान या घरेलू हिंसा के कारण हुए खर्चे के लिए हर्जाना भरने के लिए कहा जा सकता है, इस हर्जाने को किस्तों में या एकमुश्त रकम के तौर पर भरा जा सकता है, इस प्रकार की सहायता में आय के नुक्सान, इलाज का खर्च, विधालय के खर्च और पीडिता और उसके बच्चों के भरण–पोषण के लिए खर्च देने के लिए कहा जा सकता है प्रतिवादी को शारीरिक हानि, भावनात्मक अवसाद और मानसिक संतोष के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है	अदालत पीडिता के बच्चों या पीडिता की और से शिकायत करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान कर सकती है, अदालत प्रतिवादी को उसके बच्चों से मिलने की अनुमति देने न देने का भी अधिकार रखती है, नाबालिग के संरक्षण के सवाल के संबंध में नाबालिग के हित के विचार को सर्वोपरि रखा जायेगा

सदस्य सचिव

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, Fax: 2227602, Toll Free Helpline : 9928900900)

E mail: rj-slsa@nic.in, website: www. rlsa.gov.in

Premier# 9783855551